

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 13 दिसम्बर, 2011

संख्या इण्ड-II(ए)18-1/2006-II.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सहर्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उद्योग विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित करते हैं :—

क्रम संख्या	जन सेवा	जन सेवा प्रदान करने वाला अभिहित अधिकारी	निर्धारित अवधि	प्रथम अपील प्राधिकारी
1.	उद्यमिता ज्ञापन भाग—I पावती	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/उप निदेशक उद्योग/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणाली	6 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “क” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	निदेशक उद्योग
2.	उद्यमिता ज्ञापन भाग-II पावती	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/उप निदेशक उद्योग/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणाली	30 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “ख” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	निदेशक उद्योग
3.	अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना।	निदेशक उद्योग	45 कार्य दिवस (30दिन महा प्रबन्धक 15 दिन निदेशालय में) बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “ग” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार
4.	अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना लघु खनीज नियमों में पटाधारक का (पंजीकरण)	खनि अधिकारी	6 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “घ” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	निदेशक उद्योग
5.	भण्डार क्रय संगठन के साथ फर्म, आपूर्तिकर्ता इत्यादी का पंजीकरण	अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार	15 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “ड” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	निदेशक उद्योग
6.	फर्म में भागीदारी का पंजीकरण	अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार	7 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध “च” के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो	निदेशक उद्योग

7.	हिं प्र० राज्य में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग में सम्मिलित रेशम कृषक/उद्यमी/गैर सरकारी संस्था/सोसाईटी/स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण।	क्षेत्रित रेशम उत्पादन अधिकारी	7 कार्य दिवस बशर्ते कि प्रार्थना पत्र अनुबन्ध "छ" के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो।	निदेशक उद्योग
----	---	--------------------------------	---	---------------

द्वितीय अपील अधिकारी

धारा 2(एच) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

आदेश द्वारा,
अज्य त्यागी,
प्रधान सचिव (उद्योग)।

अनुबन्ध "क"

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :-

जन सेवा : उद्यमिता ज्ञापन भाग-I की पावती।

1. निर्धारित प्रपत्र पर उद्यमिता ज्ञापन भाग-I के लिए प्रार्थना पत्र।
2. परियोजना रिपोर्ट की प्रति।
3. सांझेदार /प्रबन्धक निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करते समय मुख्तारनामा/बोर्ड प्रस्ताव/संस्था प्रस्ताव आदि की प्रति-जैसा लागू हो।
4. सांझेदारी विलेख/संघ का ज्ञापन एवं अनुच्छेद यदि मध्यम उद्यमी हो।

अनुबन्ध "ख"

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है।

जन सेवा: उद्यमिता ज्ञापन भाग-II की पावती।

1. निर्धारित प्रपत्र पर उद्यमिता ज्ञापन भाग-II के लिए प्रार्थना पत्र (चार प्रतियों म)
2. राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना सहमति की प्रति।
3. निदेशक उद्योग/महा प्रबन्धक, जिओडॉकें/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणालै वे अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट की प्रति-सभी मापदण्डों सहित-जैसे कि संपर्वतक (प्रोनोटरस), कंजीवनवृत, उत्पादित वस्तु, ईकाई का संगठन, भूमि की आवश्यकता, विजली की आवश्यकता प्रस्तावित रोजगार, परियोजना लागत, औद्योगिक श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी वेतन।
4. सांझेदारी विलेख की पंजीकृत प्रति/सीमित देयता सांझेदारी विलेख/संघ का ज्ञापन एवं निटन पंजीकृत कम्पनी का प्रमाण पत्र सहित जो भी लागू हो।
5. ईकाई/फर्म के प्राधिकारी या कम्पनी का बोर्ड प्रस्ताव।
6. भूमि के राजस्व कागजात, हिं प्र० टेनेसी एवं भूमि सुधार एक्ट 1972 की धारा-118 के तहन अनुमति स्वीकृति की प्रति/निष्पादित पटटानामा/भाडे पर लिए गये स्थान इत्यादि के लिए सरकार की अनुमति।

7. प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक ईकाई को स्थापित करने हेतु टी०सी०पी०/साडा/बी०बी०एन०डी०ए० का अनापति प्रमाण पत्र/सहमति यदि लागू हो ।
8. सामान्य मुख्तारनामा की प्रति, यदि लागू हो ।
9. भूमि उपयोग/किसी अनुमोदित वास्तुकार द्वारा बनाया गया और हस्ताक्षरित, स्थल योजना नक्शा/चार्टर्ड इन्जीनियर द्वारा दर्शाए गए विभिन्न औद्योगिक कार्यकलापों के अन्तर्गत पूर्ण क्षेत्र का व्यौरा/कुल क्षेत्र और निर्माणित क्षेत्र/घेरा क्षेत्र वर्गाकार ।
10. मशीन खरीदने के बिल । मशीनों को लाने वारे जी०आ०२० फार्म एस०टी०-२६ के साथ ।
11. हि०प्र० राज्य विद्युत बाडे' से विजली आपूर्ति प्रमाण पत्र ।
12. यदि विजली आपूर्ति हेतु कुनेक्शन प्रदान नहीं किया गया तो डी०जी० सटै स्थापित करके विद्युत आपूर्ति हेतु अनुमति की प्रति ।
13. ईकाई पर लागु लाईसैन्स की प्रति—जैसे ड्रग लाईसैन्स, बी०आ०१०एस० लाईसैन्स, एफ०पी०ओ० इत्यादि ।
14. सी०एस०टी०/जी०एस०टी० पंजीकरण की प्रतियां ।
15. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परिचालन (ओरेट) करने की अनुमति की प्रति ।
16. उत्पादन शुरू होने की तिथि वारे शपथ पत्र ।
17. प्रथम कच्चे माल के बिलों की प्रतियां ।
18. प्रथम विक्रय इन्वायर्स की प्रति ।
19. नियुक्त हिमाचली मजदूरों की सूचि वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ ।
20. चार्टर्ड अभियन्ता का "इन्स्टालेड कॉर्पस्टी" वारे प्रमाण पत्र ।
21. चार्टर्ड लेखापाल का निवेश वारे प्रमाण पत्र ।

अनुबन्ध "ग"

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :—

जन सेवा : अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना

1. उद्यागे विभाग द्वारा प्रदान की गई अस्थाई पंजीकरण की प्रति ।
2. निदेशक उद्योग/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणाली द्वारा अनुमोदित परियाजे ना रिपोर्ट की प्रति सभी मापदण्डों सहित जैसे कि संपर्वतक (प्रोमोटर्स) का जीवनवृत, उत्पादित वस्तु, ईकाई का संगठन, भूमि की आवश्यकता, विजली की आवश्यकता, प्रस्तावित राजे गार, परियोजना लागत, औद्योगिक श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी/वेतन ।
3. सांझीदारी विलेख की पंजीकृत प्रति/सीमित दये ता सांझीदारी विलेख/संघ का ज्ञापन एवं नियम पंजीकृत कम्पनी का प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो ।
4. ईकाई/फर्म के प्राधिकारी या कम्पनी का बोर्ड प्रस्ताव ।
5. निम्न विन्दुओं पर प्रस्तावित भूमि के मालिक एवं क्रेता (प्रोपराईटरशिप/सांझीदारी ईकाई/कम्पनी/संस्था इत्यादि) के मध्य क्रय/विक्रय करार जो कि प्रोपराईटर/सांझीदार/निदेशक/हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो:—
 1. करार की तिथि ।
 2. करार का स्थान ।
 3. प्रस्तावित भूमि के मालिकों के नाम पता सहित ।
 4. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार औद्योगिक ईकाई का नाम ।
 5. भूमि का दर ।
 6. प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य ।
 7. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूमि का सम्पूर्ण व्यौरा खता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।
 8. करार की वैद्यता ।

6. निम्न बिन्दुओं को दर्शाते हुए प्रस्तावित भूमि के मालिकों के शपथ पत्र ।

1. राजस्व कागजात अनुसार भूमि मालिकों के नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के पश्चात वह/वे भूमिहीन नहीं होंगे । यदि वह/वे भविष्य में भूमिहीन हो जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी योजना में भूमि/लाभ का दावा नहीं करेंगे ।
3. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूमि का सम्पूर्ण व्यौरा खाता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।
4. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार क्रेयता ईकाई/फर्म/कम्पनी का नाम एवं इसके प्रोपराईटर/सांझदार/प्रबन्धक निदेशक का नाम व पता सहित ।

7. निम्न बिन्दुओं को दर्शाते हुए क्रेयता ईकाई के प्रोपराईटर/सांझदार/प्रबन्धक निदेशक/हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र ।

1. राजस्व कागजात अनुसार भूमि मालिकों के नाम ।
2. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार क्रेयता ईकाई/फर्म/कम्पनी का नाम एवं प्रोपराईटर/सांझदार/प्रबन्धक निदेशक का नाम व पता सहित ।
3. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूमि का सम्पूर्ण व्यौरा खता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।
4. प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि उपयुक्ता बारे ।
5. केवल प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि के उपयोग वारे वचनबद्धता ।
6. प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु न तो क्रेयता ने और न ही ईकाई/फर्म/कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति से इससे पूर्व कोई भूमि क्रेय/अधिग्रहण नहीं किया ।
7. सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी नवीनतम जमाबन्दी जिसमें प्रस्तावित भूमि के मालिकाना एवं भूमि व्यौरा दर्शाया गया हो । सभी व्यौरा जमाबन्दी में दर्शाया गया हो ।
8. सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी प्रस्तावित भूमि का तत्तीमा जिसमें प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बर व इसका व्यौरा स्पष्ट दर्शाया गया हो ।
9. प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित ईकाई स्थापित करने हेतु टी०सी०पी०/एस०ए०डी०ए०/बी०बी०एन०डी०ए० का अनापत्ती प्रमाण पत्र/अनुमति—यदि लागू हो । अनापत्ती प्रमाण पत्र में प्रस्तावित भूमि का व्यौरा व इसका उपयागे दर्शाया गया हो ।
10. यदि प्रस्तावित भूमि किसी बैंक/वित्तीय संस्था के साथ रहन रखी गई है तो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का प्रस्तावित भूमि के मालिकों के पक्ष में अन्नापत्ती प्रमाण पत्र ।
11. भूमि के मालिकों द्वारा निष्पादित पंजीकार द्वारा पंजीकृत सामान्य मुख्तारनामा—यदि लागू हो ।
12. अनुमोदित वास्तुकार/चार्टर्ड अभियन्ता द्वारा बनाया व हस्ताक्षरित भूमि उपयोग/स्थल नव्वा जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र व्यौरा जैसे कि विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत क्षेत्र, पूर्ण प्लाट क्षेत्र एवं निर्मित/धेरा गया क्षेत्र आदि वर्ग मीटर में एवं निर्मित/धेरा गया क्षेत्र की प्रतिशत्त दिखाई गई हो ।
13. यदि प्रस्तावित भूमि 2000 वर्ग मीटर (2.5 बीघा) से अधिक हो तो चार्टर्ड अभियन्ता द्वारा परियोजना हेतु भूमि आवश्यकता एवं इसकी औचित्यता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थल नव्वा (लैओउट प्लान) के साथ ।
14. अतिरिक्त भूमि हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए प्रकरण अन्य दस्तावेजों सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हो:-

 1. अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं धारा 118 में अनुमति की प्रतियां ।
 2. क्रेयता का शपथ पत्र जिसमें धारा 118 के तहत राज्य सरकार की अनुमति से पूर्व ब्रृद्ध नई भूमि का व्यौरा और अतिरिक्त भूमि का उद्देश्य दिया गया हो ।
 3. संस्तुति अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट संस्तुति के साथ अतिरिक्त भूमि का औचित्य ।

4. पूर्व क्रय की गई भूमि एवं अतिरिक्त भूमि के उपयोग का व्योरा दर्शाते हुए भूमि उपयोग नक्शा ।

16. हल्का पटवारी या उसके वरिष्ठ द्वारा प्रमाण पत्र के विक्रेता के पास प्रस्तावित भूमि के विक्रय के बाद न्यूनतम भूमि रह जाएगी जिससे वे "भूमिहीन" वर्गाकृत नहीं किए जाएंगे ।

अनुबन्ध "घ"

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

लोक सेवा : अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना—लघु खनीज नियमों में पटाधारक का (पंजीकरण) ।

1. मुवलिंग 500/- रुपये का द्रेजरी चालान ।
2. राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र ।

अनुलग्नक—ड

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

जन सेवा :— क्रय भण्डार संगठन में दर संविदा के लिए स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयों/आपूर्तिकर्ता (सप्लायरज) /उत्पादक का पंजीकरण ।

(I) स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयों के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :—

1. पंजीकरण हेतु उद्यम का आवेदन पत्र (फार्म—ए) (पूर्ण रूप से भरकर) ।
2. पंजीकरण शुल्क राशि 500—00 रुपये जो कि भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार, शिमला—171001 के नाम से होनी चाहिए ।
3. स्थाई पजं नियम प्रमाण पत्र/इण्टरप्रेन्योर मेमोरेन्डम भाग—II कि सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो ।
4. नवीनतम पात्रता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो ।
5. नवीनतम अनादेय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो ।
6. राशि 3—00 रुपये मूल्य के स्टेम्पड पेपर पर हल्किया व्यान दें कि आपकी ईकाई का कालीसूचिकरण/वर्जन किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग बोर्ड/निगम अथवा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा सही माल सप्लाई न करने के लिए नहीं किया गया है जिसको नोटरी/मैजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाया गया हो । शपथ पत्र में शपथ कर्ता के पिता का नाम, शपथ कर्ता की आयु तथा फर्म के साथ सम्बन्ध आदि दर्शाया गया हो ।
7. नवीनतम वैट/बिक्री कर शोध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
(यदि फर्म इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत पंजकृत है)
8. पार्टनरशीप डील की सत्यापित प्रति ।
9. पावर आफ अटार्नी की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/शपथ कर्ता को फर्म की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।

(यदि फर्म कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है)

10. मैमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की सत्यापित प्रति ।
11. कम्पनी के बोर्ड आफ डारेक्टरज के प्रस्ताव (रिजोलेशन)की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/ शपथ कर्ता को कम्पनी की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।
12. अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सरकार तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा ।

(II) आपूर्तिकर्ता (सप्लाईर)/उत्पादक इकाईयों के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

1. पंजीकरण हेतु उद्यम का आवेदन पत्र (फार्म-ए) (पूर्ण रूप से भरकर) ।
2. पंजीकरण शुल्क राशि 500-00 रुपये जो कि भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार, शिमला-171001 के नाम से होनी चाहिए ।
3. प्रिसिपल फर्म से अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र (ओथोराइजेशन सर्टीफिकेट) की मूल/सत्यापित प्रति जिसमें फर्म को सम्बन्धित मदों के लिए निविदा में भाग लेन/रेट डालने तथा माल को सप्लाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अधिकृत किया गया हो तथा इसमें प्रमाण पत्र की वैद्यता दी गई हो ।
4. प्रिसिपल फर्म के उत्पादन का प्रमाण जैसे—स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र/इण्टरपेन्योर मैमोरेण्डम भाग-II/इकाई के उत्पादन में होने का प्रमाण इत्यादि जो कि सम्बन्धित उद्योग विभाग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मदों के उत्पादन के लिए जारी किया गया हो ।
5. राशि 3-00 रुपये मूल्य के स्टेम्पड पेपर पर हल्किया व्यान दे कि आपकी इकाई का कालीसूचिकरण/वर्जन किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग बोर्ड/निगम अथवा आपूर्ति एंवं निपटान निदेशालय द्वारा सही माल सप्लाई न करने के लिए नहीं किया गया है जिसको नोटरी/मैजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाया गया हो । शपथ पत्र में शपथ कर्ता के पिता का नाम, शपथ कर्ता की आयु आयु तथा फर्म के साथ सम्बन्ध आदि दर्शाया गया हो ।
6. नवीनतम वैट/विक्री कर शोध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
7. स्थाई व्याना राशि 5000-00 रुपये की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) जो कि अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश शिमला-1 के नाम से हो जिसे किसी अधिसूचित कर्मशियल बैंक द्वारा जारी की गई हो तथा जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए ।

(यदि फर्म इण्डियन पार्टनर्न रशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत है)

8. पार्टनरशीप डीड की सत्यापित प्रति
9. पावर आफ अटार्नी की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/शपथ कर्ता को फर्म की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।

(यदि फर्म कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है)

10. मैमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की सत्यापित प्रति ।
11. कम्पनी के बोर्ड आफ डारेक्टरज के प्रस्ताव (रिजोलेशन)की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/ शपथ कर्ता को कम्पनी की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।
12. अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सरकार तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए न-आदेशों/अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा ।

अनुलग्नक-ब

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

जन सेवा:—इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत पार्टनरशीप फर्म के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ।

1. पार्टनरशीप डीड की सत्यापित प्रति जो कि राशि 22.50 रु० के स्टांड पेपर पर बनाई गई है तथा सम्बन्धित उप-पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत हुई हो जिसमें फर्म के प्रधान क.डॉल्टन का नाम, फर्म की अवधि, व्यापार का नाम इत्यादि दिया गया हो ।

2. पंजीकरण की आवश्यक शुल्क राशि 3.00 रुपये जिसको कि लेखा शीर्ष-1475-800-अन्य केन्द्र आधिक सेवा शुल्क (हेड आफ अकाउंट-1475-800-अंडर सेन्ट्रल इकोनोमिक सर्विस फी) इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत चालान के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करें या पंजीकार फर्मज/उप-पंजीकार फर्मज, हिंप० के कार्यालय में टी.आर.-५ के माध्यम से जमा करें।

3. शपथ पत्र जिसमें यह व्यान दिया गया हो कि यह फर्म पहले कहीं भी पंजीकार फर्मज/उप पंजीकार फर्मज, हिमाचल प्रदेश/भारत में इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट-1932 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। शपथ पत्र पब्लिक नोटरी/मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया हो।

4. आवेदन पत्र-१ पूर्ण रूप से भरकर दें जिसमें प्रत्येक पार्टनर के हस्ताक्षर को वकील/पब्लिक नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया हो।

5. अन्य दस्तावेजों को यदि आवश्यक हो तो इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट-1932 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तथा पंजीकार फर्मज की सहमति के लिए मांगा जाएगा।

अनुबन्ध "छ"

सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है।

जन सेवा—हिंप० राज्य में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग में सम्मिलित रेशम कृषक/उद्यमि/गैर सरकारी संस्था/सोसाईटी/स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण।

- निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र।
- रिहायश का प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
- भूमि धारण का प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th December, 2011

No. Ind-II(A)18-1/2006-II.—In exercise of the powers vested under Section 3 of the HP Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers and 1st Appellate Authority and stipulated time limits relating to the Industries Department, Himachal Pradesh for the purpose of the Act ibid:-

Sr. No.	Public Service	Designated Officer to provide service	Stipulated time	First Appellate Authority
1.	Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum Part-I	General Manager DIC / Deputy Director / Member Secretary SWCA (Single Window Clearance Agency)	6 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-A	Director of Industries
2.	Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum Part-II	General Manager DIC/ Deputy Director / Member Secretary SWCA (Single Window Clearance Agency)	30 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-B	Director of Industries
3.	Issue of Essentiality Certificate	Director of Industries	45 working days (30 days GM+15 days at Directorate)	Principal Secretary (Industries)

			provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure- C	to the Govt. of H.P.
4.	Issue of Certificate of Approval (Registration) of lessee under minor mineral rules	Mining Officer	6 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-D	Director of Industries
5.	Registration of firms, Suppliers etc. with Store Purchase Organisation	Additional Controller of Stores	15 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-E	Director of Industries
6.	Registration partnership of Firms	Additional Controller of Stores, H.P.	7 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-F	Director of Industries
7.	Registration of Sericulture Farmer / Entrepreneur/ NGO/ Society/ SHG involved in Sericulture & Silk Industry in the State	Divisional Sericulture Officer	7 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-G	Director of Industries

Second Appellate Authority.

State Information Commissioner has been notified Second Appellate Authority under Section 2(h).

By order,
AJAY TYAGI,
Principal Secretary (Inds.).

Annexure- "A"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service: Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum-Part-I

1. Application on the prescribed format for EM-I.
2. A copy of the Project report.
3. A copy of Power of Attorney/Board Resolution/Society Resolution, wherever applicable, while signing as Partner/Managing Director or Authorised Person.
4. A certified /notarized copy of the Partnership Deed /Memorandum of Association Articles of Association in case of Medium Enterprises.

” List of documents required to be submitted with an application for the service”**Public Service: Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum- Part-II.**

1. Application on the prescribed format for EM-II four sets.
2. A copy of the Consent to establish from State Pollution Control Board.
3. A Copy of Project Report duly approved by the Industries Department/General Manager, DIC/Member Secretary, SWCA with details of all the parameters like as bio-data of the promoters, items of manufacturing, organization of the unit, land requirement, power requirement, proposed employment, project cost, wages/salaries to the industrial workers as per notified by the State Govt. etc
4. A copy of the Registered Partnership Deed/Limited Liability Partnership deed/ Memorandum and Article of Association with Certificate of Registrar of Companies, as applicable.
5. Authority of the unit/firm or Board Resolution of the Company
6. Revenue papers of the land, a copy of the permission granted under section-118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972/lease deed executed/permission of the Govt. for rented accommodation etc.
7. NOC/consent of the TCP/SADA/BBNDA to establish the proposed industrial unit in the proposed land, if applicable.
8. A copy pf General Power of Attorney(s), if applicable.
9. Land utilization/site plan map prepared and signed by any approved Architect/ Chartered Engineer indicating complete area details such as details of area covered under different industrial activities, total plot area & built up/covered area in square meters and % age of the built up/covered area.
10. Purchase Bills of the Machinery. GR for the transportation of Machinery alongwith Form ST-26
11. Power release certificate from HPSEB Ltd.
12. If power connection has not been provided, a copy of the permission to install the DG Set and to energise the same.
13. A copy of the applicable licence such as drug licence, BIS Licence, FPO etc.
14. Copies of CST/GST registration certificates.
15. A copy of the Consent to operate from State Pollution Control Board.
16. Affidavit regarding date of Production.
17. Copies of first raw material bills.
18. A copy of the first sale invoice.
19. List of workers employed alongwith Bonafide Himachali certificates of the Himachali workers.
20. Certificate of Chartered Engineer certifying the installed Capacity.
21. Certificate of Chartered Accountant certifying the investment made.

” List of documents required to be submitted with an application for the service”**Public Service : Issue of Essentiality Certificate**

1. Copy of Provisional Registration of the unit granted by Industries Department.
2. Copy of Project Report duly approved by the Industries Department General Manager, DIC/Member Secretary, SWCA with details of all the parameters like as bio-data of

the promoters, items of manufacturing, organization of the unit, land requirement, power requirement, proposed employment, project cost, wages/salaries to the industrial workers as per notified by the State Govt. etc

3. Registered Partnership Deed/Memorandum of Articles with Certificate of Registrar of Companies
4. Authority of the unit/firm or Board Resolution of the Company
5. Agreement to sell/purchase between the owner(s) of the proposed land and the purchaser proprietorship concern/partnership firm/company/society etc. through Proprietor/Partner/Director/Authorized Signatory indicated the following points.
 - (i) Date of Agreement
 - (ii) Place of the Agreement
 - (iii) Name (s) and address (s) of the owner (s) of the proposed land.
 - (iv) Name of the industrial unit as per Registration granted by the Industries Department.
 - (v) Rate of the land
 - (vi) Total price of the proposed land
 - (vii) Complete details of land, Khata/ Khatoni Nos., Khasra Nos. and location of land as per Jamabandi/ Revenue Record of the concerned land.
 - (viii) Validity of the Agreement.
6. Affidavit (s) of the owner(s) of the proposed land indicating the following points:-
 - (i) Name(s) of the owners of the land as per Revenue Record
 - (ii) After selling the proposed land he/they will not become landless in the State of H.P. In case he/they rendered landless in future, he/they will not claim any land/benefit under any scheme prepared for the landless persons in the State of H.P.
 - (iii) Complete land details, Khata/ Khatoni Nos., Khasra Nos. location of land as per Jamabandi/Revenue Record of the concerned land.
 - (iv) Name of the purchaser unit/ firm/ Company as per Registration granted by the Industries Department and name & Address of its Proprietor/Partner/Managing Director.
7. Affidavit of the Proprietor/Partner/ Director/ Managing Director/Authorized Signatory of the purchaser unit indicating the following points:-
 - (i) Name(s) of the owners of the land as per Revenue Record.
 - (ii) Name of the purchaser unit/firm/company as per Registration granted by the Industries Department and name & address of its Proprietor/Partner/ Managing Director.
 - (iii) Complete land details, Khata/Khatoni Nos., Khasra Nos., location of land as per Jamabandi/Revenue Record of the concerned land.
 - (iv) The proposed land is fit to be used for the installation of the proposed industry.
 - (v) Undertaking to use the proposed land for the installation of the proposed industry only.
 - (vi) Neither the purchaser (s) nor the purchaser unit/firm/company has earlier purchased/acquired any land with the permission of the State Govt. of H.P. under clause (h) of sub section 2 of section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act 1972 of the installation of the proposed industry.
8. Fresh Jamabandi of the proposed land issued by the concerned Patwari clearly indicating ownership of the proposed land and land details. All the entries should be made in Jamabandi.
9. Tatima of the proposed land issued by the concerned Patwari clearly indicating the Khasra Nos. of the proposed land and its details.

10. NOC/consent of the TCP/SADA/BBNDA to establish the proposed industrial unit in the proposed land, if applicable. The details of the proposed land and use of the said land should also be mentioned in this NOC.
11. NOC of the concerned Bank/Financial Institution in favour of the owner (s) of the proposed land for sale of land, if the proposed land is mortgaged with any Bank/Financial Institution.
12. General Power of Attorney(s) executed by the owner (s) of the land registered by the registrar, if applicable.
13. Land utilization/site plan map prepared and signed by any approved Architect/Chartered Engineer indicating complete area details such as details of area covered under different industrial activities, total plot area & built up/covered area in square meters and % age of the built up/covered area.
14. Certificate of Chartered Engineer certifying the requirement of the land of the project and its justification & utilization, if the proposed land is exceeding 2000 square meters (2.5 bighas) supported with site layout plan.
15. In case of issuance of Essentiality Certificate for the **additional land**, the case should also be accompanied by the following documents alongwith other documents required for issue of an Essentiality Certificate:-
 - (i) Copy (s) of Essentiality Certificate (s) and copy (s) of permission(s) u/s 118.
 - (ii) Affidavit of the purchaser indicating complete details of the land purchase earlier with the permission of the State Govt. u/s 118 and purpose of additional land.
 - (iii) Justification of additional land alongwith specific recommendations of the recommending authority.
 - (iv) Land Use Map indicating details and utilisation of land earlier purchased and also details and utilisation of additional area/land.
16. A Certificate of Halqua Patwari or his superiors to the effect that the seller(s) retain the minimum land to be classified as "not landless" and will not become landless after the sale of the proposed land.

Annexure "D"**"List of documents required to be submitted with an application for the service"****Public Service : Issue of Certificate of Approval (Registration) of leases under Miner Mineral Rules.**

1. Treasury Challan for Rs. 500.00
2. Nationality Certificate

Annexure "E"**"List of documents required to be submitted with an application for the service"****Public Service : Registration of firm for local manufacturer industrial unit and manufacturer/supplier with Store Purchase Organisation for rate contract.****(I) Required documents for registration for Local manufacturer Industrial Units:-**

1. Application on Enterprise Registration Form "A" (duly filled)
2. Registration fee worth Rs.500/- in shape of Indian Postal Orders in the name of Addl. Controller of Stores, Shimla-171001.

3. An attested copy of Permanent Registration Certificate/ Entrepreneur Memorandum Part-II issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.
4. An attested copy of Fresh Eligibility Certificate issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.
5. An attested copy of No Due Certificate issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.
6. An affidavit of Non-blacklisting on the stamp paper of Rs.3/- duly attested by the Notary/Magistrate with effect that the firm has never been blacklisted by any Department/Board/Corporation of State Government/Central Government for the supply of sub-standard material in which the name of deponent's father, age of deponent and relation with the firm should also be indicated.
7. An attested copy of latest VAT/Sales Tax clearance certificate.

(In case of Partnership Firm registered under IPA,1932)

8. An attested copy of Partnership Deed.
9. An attested copy of Power of attorney where the applicant/deponent has been authorized for signing on behalf of the firm for registration.

(In case of Company registered under Company Act,1956)

10. An attested copy of Memorandum of Articles.
11. Resolution from the Board of Directors of Company where the applicant/deponent has been authorized for signing on the behalf of the Company for registration.
12. Any other document if needed may also be added and demanded as per Instructions/Notifications issued by the Government/Competent Authority from time to time.

(II) Required documents for registration as manufacturer/suppliers:-

1. Application on Enterprise Registration Form "A".(duly filled)
2. Registration fee worth Rs.500/- in shape of Indian Postal Orders in the name of Addl. Controller of Stores, Shimla-171001.
3. Original/an attested copy of Authorization Certificate from the Principal Firm where the participating firm has been authorized to participate/quote the rates/supply the material on behalf of the Principal firm in Himachal Pradesh alongwith its validity.
4. An attested copy of manufacturing proof i.e. Permanent Registration Certificate/ Entrepreneur Memorandum Part-II/Certificate of commencement commercial production of Principal Manufacturing firm issued from the concerned Industries Department /General Manager, District Industries Centre and any other competent authority where the firm is registered as manufacturer for concerned items.
5. An attested copy of latest VAT/Sales Tax clearance certificate.
6. An affidavit of Non-blacklisting on the stamp paper of Rs.3/- duly attested by the Notary/Magistrate with effect that the firm has never been blacklisted by any Department/Board/Corporation of State Government/Central Government for the supply of sub-standard material in which the name of deponent's father, age of deponent and relation with the firm should also be indicated.
7. FDR of Rs.5,000/-as Permanent Earnest Money duly pledged in the name of Addl. Controller of Stores, Shimla, Himachal Pradesh (171001) from a Scheduled Commercial Bank with minimum validity of 5 years.

(In case of Partnership Firm registered under IPA,1932)

8. An attested copy of Partnership Deed.
9. An attested copy of Power of attorney where the applicant/deponent has been authorized for signing on behalf of the firm for registration.

(In case of Company registered under Company Act,1956)

10. An attested copy of Memorandum of Articles.
11. Resolution from the Board of Directors of Company where the applicant/deponent has been authorized for signing on the behalf of the Company for registration.
12. Any other document if needed may also be added and demanded as per Instructions/Notifications issued by the Government/Competent Authority from time to time.

Annexure-“F”

“List of documents required to be submitted with an application for the service”

Public Service: Required documents for registration of Partnership firm registered under Indian Partnership Act,1932.

1. An attested copy of Partnership Deed on the stamp papers of Rs.22.50/- registered with the Sub-Registrar concerned in which Principal place of the firm, Mode of business, validity of the firm etc. should also be mentioned.
2. Required fee Rs.3/- (By depositing under Head of Account-1475-800 other Central Economic Services Fee Under Indian Partnership Act,1932 into Government Treasury through Challans) or by TR-5 in the office of Registrar of Firms/Sub-Registrar of Firms,H.P.
3. An affidavit with effect that the firm is not registered previously anywhere in the office of Registrar of Firms/Sub-Registrar of Firms in H.P./India under Partnership Act,1932 duly attested by Notary/Magistrate.
4. Application Form “I” duly filled in all respect in which signature of each partners should also be identified/verified by an Advocate/Notary/ Gezotted officer/Magistrate.
5. Any other necessary document if required under the provisions contained in the Indian Partnership Act, 1932 and for the satisfaction of the Registrar of Firms.

Annexure-“G”

“ List of documents required to be submitted with an application for the service”

Public Service: Registration of Sericulture Farmer/ Entrepreneur/NGO/ Society/SHG involved in Sericulture and Silk Industry in the State.

1. Application on the prescribed format including basis information.
2. Proof of Residence (Attested Copy).
3. Proof of land holding (Attested Copy).